न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 410 / 20199

अनवान : –

1. रविन्द्र कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. रणजीत पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. रविका पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 140 / 132 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 110 / 110 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 126 / 125 की कुल 0.6700 हैक्ट व रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 117 / 109 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 4 व 3 जो की वादी की बहिने एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है एवं अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादी स0 1 द्वारा पूर्व में प्रतिवादी स0 3 के पक्ष में 6 बीघा भूमि का दानपत्र करवा दिया गया है इसलिए प्रतिवादी स0 3 का भी उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दा[...] कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में [...] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 4 व 3 जो की वादी की बहिने एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है एवं अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादी स0 1 द्वारा पूर्व में प्रतिवादी स0 3 के पक्ष में 6 बीघा भूमि का दानपत्र करवा दिया गया है इसलिए प्रतिवादी स0 3 का भी उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 140/132 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 110/110 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 10 [illegible] नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 126/125 की कुल 0.6700 हैक्ट व रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 117/109 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 4 व 3 जो की वादी की बहिने एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्रीया है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है एवं अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादी स0 1 द्वारा पूर्व में प्रतिवादी स0 3 के पक्ष में 6 बीघा भूमि का दानपत्र करवा दिया गया है इसलिए प्रतिवादी स0 3 का भी उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 140/132 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 110/110 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 126/125 की कुल 0.6700 हैक्ट व रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 117/109 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त समस्त खातों में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 410/20199

अनवान : –

1. रविन्द्र कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. रणजीत पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. रविका पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 410 सन 2019 निर्णय दिनांक 13/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 140/132 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 110/110 की कुल 1.8720 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 10 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 126/125 की कुल 0.6700 हैक्ट व रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 117/109 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त समस्त खातों में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:06:12 IST
Reason: SelfAttested